CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
09
08 अगस्त से 21 अगस्त 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

Web: www.chanakyaiasacademy.com, Email: enquiry@chanakyaiasacademy.com
Toll Free No. 1800 - 274 - 5005

अमेरिका और चीन के बीच फंसा ताइवान

- युनाइटेड स्टेट्स हाउस की स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी की हाल की ताइवान यात्रा से चीन नाखुश है।
- यह यात्रा 25 वर्षों में यू.एस. से ताइवान की उच्चतम स्तरीय यात्रा थी। चीन, जिसने सार्वजनिक रूप से अमेरिका को इसके साथ आगे बढ़ने के खिलाफ , यह कहते हुए चेतावनी दी थी, कि वह 'वन चाइना पॉलिसी' के तहत प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करेगा।
- यात्रा का कारण : रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा में तीन मुख्य केंद्रित क्षेत्र हैं
- पेलोसी ने कहा कि "अमेरिका का दृढ़ संकल्प ताइवान में लोकतंत्र को बनाए रखना है।
- ताइवान ने इस दुर्लभ उच्च स्तरीय यात्रा का स्वागत अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देने के रूप में किया है, हालांकि व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना इस यात्रा के बारे में उत्साहित नहीं थे, वे चीन के साथ संबंधों पर नकारात्मक असर की उम्मीद कर रहे है ।

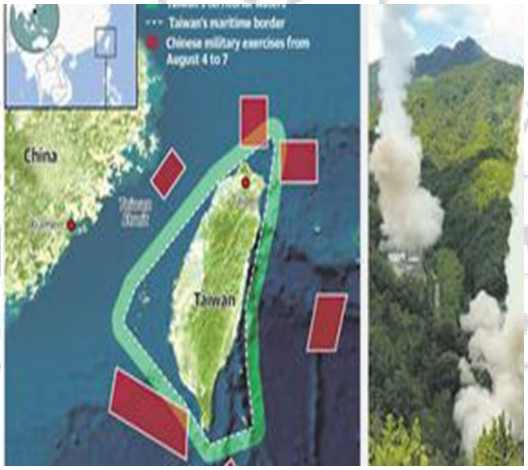

चीन द्वारा यात्रा का विरोध क्यों ?

- जहां तक चीन की 'एक चीन नीति'('वन चाइना पॉलिसी') का संबंध है, चीन ने इसे यू.एस. द्वारा यथास्थिति को बदलने के प्रयास के रूप में देखा है।
- बीजिंग के विचार में, पेलोसी की यात्रा कई कदमों में नवीनतम है, जो पिछले ट्रम्प प्रशासन के जैसी है, जिसका उद्देश्य 'एक चीन नीति' को फिर से परिभाषित करना है। इसलिए, चीन की ओर से इस यात्रा पर जोरदार प्रतिक्रिया आई है

क्या यह यात्रा 'वन चाइना पॉलिसी' का उल्लंघन करती है

- संयुक्त विज्ञप्ति जिसने 1979 में अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए, ने घोषणा की कि "संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार को चीन की एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में मान्यता देता है"।
- चीन के साथ संबंधों की स्थापना के बाद से, 'एक चीन नीति' के तहत अमेरिका के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रह गए हैं।
- इस संदर्भ में, विज्ञप्ति के पहले पैराग्राफ में कहा गया है, "संयुक्त राज्य के लोग ताइवान के लोगों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य अनौपचारिक संबंध बनाए रखेंगे।"
- चीन ने पेलोसी की यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा के रूप में देखा है और इस प्रकार इस विज्ञप्ति के उल्लंघन के रूप में देखा है, जिसे उसने संबंधों की नींव के रूप में वर्णित किया है।

एक चीन सिद्धांत और एक चीन नीति

- एक चीन सिद्धांत और एक चीन नीति के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है ताकि क्रॉस-ताइवान जलडमरूमध्य की समस्याओं को समझा जा सके।
- चीन का जनवादी गणराज्य एक चीन सिद्धांत का पालन करता है, एक मूल विश्वास जो ताइवान को चीन के एक अविभाज्य हिस्से के रूप में देखता है, जिसकी एकमात्र वैध सरकार बीजिंग में है।
- अमेरिका इस स्थिति को स्वीकार करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी वैधता हो।
- इसके बजाय अमेरिका एक चीन नीति का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि चीन का जनवादी गणराज्य एकमात्र चीन था और एक अलग संप्रभु इकाई के रूप में चीन गणराज्य (आरओसी, ताइवान) के लिए कोई मान्यता नहीं है।
- साथ ही, अमेरिका ने ताइवान पर चीनी संप्रभुता को मान्यता देने की पीआरसी (the People's Republic of China- चीन का आधिकारिक नाम) की मांगों को मानने से इंकार कर दिया।

ताइवान की प्रासंगिकता

यूएसए के लिए:

- ताइवान द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसे अमेरिका अपनी अनुकूल क्षेत्रों की सूची में शामिल करता है। अमेरिका चीन की विस्तारवादी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए ताइवान को एक उपयुक्त स्थान के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी कानून (ताइवान संबंध अधिनियम, 1979) द्वारा द्वीप को अपनी रक्षा के लिए साधन प्रदान करने के लिए बाध्य है।
- यह ताइवान के लिए अब तक का सबसे बड़ा हथियार डीलर रहा है और जो अमेरीका की एक 'रणनीतिक अस्पष्टता' नीति को परिलक्षित करती है।

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE 1999

चीन के लिए:

- चीन और ताइवान की अर्थव्यवस्थाएं अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। 2017 से 2022 तक 515 बिलियन डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ चीन ताइवान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, जो अमेरिका के दोगुना से अधिक है, जो अगला सबसे बड़ा भागीदार था।
- ताइवान अन्य द्वीपों की तुलना में मुख्य भूमि चीन के बहुत करीब है, और बीजिंग द्वारा दावा किया गया है क्योंकि 1949 में चीनी क्रांति के दौरान राष्ट्रवादियों को वहां खदेड़ दिया गया था।
- • कुछ लोगों ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को चीन-ताइवान संघर्ष के संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा है।

प्रथम द्वीप श्रृंखला:

- **प्रथम द्वीप श्रृंखला में कुरील द्वीप समूह, जापानी द्वीपसमूह, रयूकू द्वीप, ताइवान, उत्तर-पश्चिम फिलीपींस शामिल है और यह बोर्नियो में समाप्त होता है।**
- **यह श्रृंखला रक्षा की पहली पंक्ति भी है और पूर्वी चीन सागर और फिलीपीन सागर और दक्षिण चीन सागर और सुलु सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करती है।**
- **इस श्रृंखला में बाशी चैनल और मियाको जलडमरूमध्य स्थित हैं जो चीन के लिए महत्वपूर्ण चोकपॉइंट हैं।**
- **चीन की समुद्री रणनीति, या "द्वीप श्रृंखला रणनीति", 1940 के दशक में चीन और सोवियत संघ की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार की गई एक भौगोलिक सुरक्षा अवधारणा है।**

ताइवान पर भारत का स्टैंड

- 1949 से, भारत ने एक चीन नीति को स्वीकार किया है जो ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करती है।
- हालांकि, भारत नीति का उपयोग कूटनीतिक बिंदु बनाने के लिए करता है, अर्थात, यदि भारत "एक चीन" नीति में विश्वास करता है, तो चीन को भी "एक भारत" नीति में विश्वास करना चाहिए।
- भले ही भारत ने 2010 से संयुक्त बयानों और आधिकारिक दस्तावेजों में एक चीन नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के ढांचे के कारण ताइवान के साथ इसका जुड़ाव अभी भी प्रतिबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्य-प्रणाली

संदर्भ :

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त हो रहा है।
- कॉलेजियम, संयुक्त रूप से, कई न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने में सक्षम था और सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों को एक बार में नियुक्त कर इतिहास रच दिया। नौ में से, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, 2027 में पहली महिला सीजेआई बनने की कतार में हैं। नौ में से, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, 2027 में पहली महिला सीजेआई बनने की कतार में हैं।

कॉलेजियम प्रणाली:

- कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वर्षों के संघर्ष से पैदा हुई थी।
- 1970 के दशक में कोर्ट-पैकिंग (एक अदालत में न्यायाधीशों की संरचना को बदलने की प्रथा), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामूहिक स्थानांतरण और CJI के कार्यालय में दो अधिक्रमण के उदाहरणों से शत्रुता और बढ़ गई थी।

- तीसरे न्यायाधीश वाद मामले में कॉलेजियम प्रणाली का विकास देखा गया। पहले न्यायाधीशों के मामले में, अदालत ने माना कि सीजेआई के साथ परामर्श "पूर्ण और प्रभावी" होना चाहिए।
- द्वितीय न्यायाधीश वाद 1993 के तहत कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। इसके अनुसार CJI को न्यायिक नियुक्तियों पर शीर्ष अदालत में अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना होगा। अदालत ने माना कि कॉलेजियम की इस तरह की "सामूहिक राय" की सरकार पर प्रधानता होगी।
- 1998 में यह तीसरा न्यायाधीशों का मामला था, जो एक राष्ट्रपति का संदर्भ था, जिसने न्यायिक कॉलेजियम को सीजेआई और उनके चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वर्तमान संरचना तक विस्तारित किया।

कार्य तंत्र:

- CJI का कॉलेजियम और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करते हैं।
- कॉलेजियम सरकार को वीटो कर सकता है यदि कॉलेजियम द्वारा नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने के लिए नियुक्तियों और तबादलों के मामलों में सरकार पर प्रधानता होनी चाहिए।
- हालांकि, समय के साथ, कॉलेजियम प्रणाली ने पारदर्शिता की कमी के लिए न्यायिक संस्थान के भीतर से भी आलोचना को आकर्षित किया है। यहां तक कि उन पर भाई-भतीजावाद का भी आरोप लगाया गया है।

NJAC के बारे में:

- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए प्रस्तावित था**
- **संरचना: इसमें छह लोग शामिल थे - भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो 'प्रतिष्ठित व्यक्ति'। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली एक समिति द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए नामित किया जाना था , और वे फिर से नामांकन के लिए पात्र नहीं होते ।**
- **एनजेएसी की स्थापना संसद द्वारा 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के द्वारा किया गया था।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम और 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार कर दिया क्योंकि यह मूल संरचना का उल्लंघन करता है।**

नियुक्ति की प्रक्रिया :

मुख्य न्यायाधीश के मामले में

- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- CJI के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाए।
- केंद्रीय कानून मंत्री, "उचित समय" पर, अपने उत्तराधिकारी पर निवर्तमान CJI की सिफारिश मांगेंगे। एक बार सीजेआई की सिफारिश के बाद, कानून मंत्री प्रधान मंत्री को संचार अग्रेषित करते हैं जो नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देंगे।

अन्य न्यायाधीशों के मामले में

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, जब शीर्ष अदालत में कोई रिक्ति होने की संभावना है, तो कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को एक उम्मीदवार की सिफारिश करेगा।

- सीजेआई उच्चतम न्यायालय के उन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों का भी पता लगाएंगे, जो उस उच्च न्यायालय के हैं जहां से अनुशंसित व्यक्ति आता है।
- कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य और परामर्श किए गए अन्य न्यायाधीशों की राय लिखित रूप में बनाई जानी चाहिए और सरकार को भेजे गए उम्मीदवार पर फाइल का हिस्सा होना चाहिए।
- यदि CJI ने गैर-न्यायाधीशों से परामर्श किया था, तो उन्हें एक ज्ञापन बनाना चाहिए जिसमें परामर्श का सार हो, जो फ़ाइल का हिस्सा भी होगा।
- कॉलेजियम की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, कानून मंत्री इसे प्रधान मंत्री को अग्रेषित करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे।

क्या न्यायिक नियुक्तियों में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों में कमी आई है?

- न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि ने शीर्ष अदालत में मामलों के कम लंबित होने की गारंटी नहीं देता है।
- लंबित मामलों की संख्या 1 अगस्त, 2022 तक बढ़कर 71,411 हो गई है, जो 2017 में 55,000 से अधिक थी।
- यह इस तथ्य के बावजूद है कि अगस्त 2019 में अदालत की स्वीकृत न्यायिक शक्ति को बढ़ाकर 34 न्यायाधीशों तक कर दिया गया था।
- 1950 में, सर्वोच्च न्यायालय में आठ न्यायाधीश थे और 100 से अधिक मामले लंबित थे।
- एक दशक बाद, 1960 में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जबकि लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 3,247 हो गई।
- 1978 में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 थी और लंबित मामलों की संख्या 14,000 का आंकड़ा पार कर गई थी।
- 1986 में उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीश थे जबकि लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 27,881 हो गई।
- 2009 में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 तक पहुंच गई, हालांकि लंबित मामलों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई।
- 2014 में जजों की संख्या 31 रही, लेकिन लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 64,000 से अधिक हो गई।
- 2020 और 2021 में, महामारी ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की दर को बढ़ा दिया।
- वर्ष 2020 का अंत 64,426 मामलों और 2021 में 69,855 मामलों के बैकलॉग के साथ हुआ।

ग्रेट बैरियर रीफ

सन्दर्भ :

- ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मरीन साइंस (AIMS) की वार्षिक दीर्घकालिक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 36 वर्षों के भीतर, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में कोरल आवरण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है।

मूंगे की चट्टानें :

- मूंगे समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है। वे ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं हैं।
- प्रत्येक कोरल को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलीप्स एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं, जो तब बढ़ते हैं जब पॉलीप्स खुद की प्रतियां बनाने की प्रक्रिया करते हैं।

प्रकार:

मूंगे दो प्रकार के होते हैं

- कठोर मूंगे समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, जिससे कठोर, सफेद मूंगा एक्सोस्केलेटन बनते हैं। हार्ड कोरल एक तरह से रीफ इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं और हार्ड कोरल की सीमा को मापना कोरल रीफ की स्थिति को मापने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत मीट्रिक है।

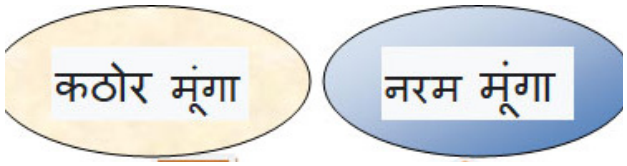

- नरम मूंगे अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए ऐसे कंकालों और पुराने कंकालों से खुद को जोड़ लेते हैं। नरम मूंगे भी वर्षों से अपने स्वयं के कंकालों को कठोर संरचना में जोड़ते हैं। ये बढ़ती संरचनाएं धीरे-धीरे प्रवाल भित्तियों का निर्माण करती हैं।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में:

- ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ 2,300 किमी में फैली दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है और इसमें लगभग 3,000 रीफ हैं।
- यह 400 विभिन्न प्रकार के मूंगों का घर है, मछलियों की 1500 प्रजातियों और 4,000 प्रकार के मोलस्क को आश्रय देता है।
- प्रवाल भित्तियाँ 25% से अधिक समुद्री जैव विविधता का समर्थन करती हैं, जबकि वे समुद्र तल का केवल 1% हिस्सा लेती हैं। रीफ्स द्वारा समर्थित समुद्री जीवन वैश्विक मछली पकड़ने के उद्योगों को और बढ़ावा देता है।
- इसके अलावा, कोरल रीफ सिस्टम माल और सेवा व्यापार और पर्यटन के माध्यम से वार्षिक आर्थिक मूल्य में $2.7 ट्रिलियन उत्पन्न करते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में, बैरियर रीफ, पूर्व-कोविड समय में, पर्यटन के माध्यम से सालाना 4.6 बिलियन डॉलर उत्पन्न करता था और गोताखोरों और गाइडों सहित 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता था।

रिपोर्ट के बारे में:

- वर्तमान रिपोर्ट ने अगस्त 2021 और मई 2022 के बीच ग्रेट बैरियर रीफ(जीबीआर) में 87 रीफ़ का सर्वेक्षण किया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि रीफ सिस्टम लचीला है और संचित गर्मी के तनाव, चक्रवात,
- आदि जैसी गड़बड़ी के बाद ठीक होने में सक्षम है, बशर्ते ऐसी गड़बड़ी की आवृत्ति कम हो।
- मूंगे के आवरण को कठोर मूंगों के आवरण में वृद्धि को निर्धारित करके मापा जाता है। उत्तरी जीबीआर में कठोर प्रवाल आवरण 36 प्रतिशत तक पहुंच गया था जबकि मध्य क्षेत्र में यह 33 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
- इस बीच, दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाल आवरण का स्तर 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 34% हो गया।
- रिपोर्ट में दिखाया गया है कि रिकवरी के रिकॉर्ड स्तर को बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ते एक्रोपोरा कोरल में वृद्धि से बढ़ावा मिला, जो जीबीआर में एक प्रमुख प्रकार हैं।
- इसके अलावा, रीफ के कुछ हिस्सों में हाल ही में सुधार के पीछे के कई कारण है जैसे कि , पिछले 12 महीनों में तीव्र तनाव स्तर निम्न होना, कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं, 2016 और 2017 के विपरीत 2020 और 2022 में कम गर्मी और सीओटी के प्रकोप में कमी प्रमुख कारण है .

चिंताए :

- परभक्षी हमलों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलावा, वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टान के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित गर्मी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है।

> - **प्रवाल विरंजन: जब तापमान, प्रकाश, या पोषक जैसी स्थिति में प्रवालों पर परिवर्तित होने का दवाब पड़ता है तो वे अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवालों को त्याग देते हैं जिसके कारण वे पूरी तरह विरंजित (पूरी तरह सफेद) हो जाते हैं।**

- जब मूंगे गर्मी के तनाव, प्रदूषण, या समुद्र की अम्लता के उच्च स्तर जैसी स्थितियों के संपर्क में आते हैं, तो ज़ोक्सांथेला प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं जो मूंगों के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं।
- जिसके कारण , मूंगे अपने पॉलीप्स से रंग देने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका पीला सफेद एक्सोस्केलेटन उजागर हो जाता है और प्रवाल भुखमरी का कारण बनते हैं क्योंकि मूंगे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं।
- प्रक्षालित मूंगे विरंजन के स्तर और समुद्र के तापमान के सामान्य स्तर पर वापस आने के आधार पर जीवित रह सकते हैं। बाहरी वातावरण में गंभीर विरंजन और लंबे समय तक तनाव से प्रवाल मृत्यु हो सकती है

बड़े पैमाने पर विरंजन:

- पहली सामूहिक विरंजन घटना 1998 में हुई जब अल नीनो मौसम पैटर्न के कारण समुद्र की सतहें गर्म हो गईं, जिससे दुनिया के 8% प्रवाल मर गए।
- दूसरी घटना 2002 में हुई। लेकिन सबसे लंबी और सबसे हानिकारक विरंजन घटना 2014 से 2017 तक हुई।
- बड़े पैमाने पर विरंजन फिर 2020 में हुआ, उसके बाद इस साल की शुरुआत में हुई । ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वैज्ञानिकों के अनुसार, मार्च में सर्वेक्षण की गई 91% चट्टानें विरंजन से प्रभावित थीं।

> भारत में मूंगे :
>
> - **भारत के मुख्य भूमि तट में दो व्यापक रूप से अलग-अलग क्षेत्र हैं जिनमें चट्टानें हैं:**
> - **कच्छ की खाड़ी और मन्नार: उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी में चट्टानें हैं। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में छोटे द्वीपों के चारों ओर कई फ्रिंजिंग रीफ हैं, जिनमें प्रवाल भित्तियाँ भी हैं।**
> - **प्रवाल द्वीप समूह: भारत के महत्वपूर्ण अपतटीय द्वीप समूहों में व्यापक चट्टान विकास के साथ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में द्वीपों के लक्षद्वीप समूह शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग रीफ (चट्टानें जो तट के करीब बढ़ती हैं और एक जलमग्न मंच की तरह समुद्र में फैलती हैं) और पश्चिमी तट पर 320 किमी लंबी बैरियर रीफ हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह एटोल से बना है (एक लैगून के चारों ओर चट्टानों की एक गोलाकार अंगूठी)।**
> - **• अन्य क्षेत्र: देश के मध्य पश्चिमी तट के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में चट्टान के पैच हैं। कोरल पैच रत्नागिरी, मालवन और रेडी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों, बॉम्बे के दक्षिण और मैंगलोर के गावेशन बैंक में दर्ज किए गए हैं। हेर्माटाइपिक मूंगे केरल तट और तमिलनाडु में तट के किनारे पाए जाते हैं।**

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

5. इजरायल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्धविराम

संदर्भ :

- हाल ही में, इजरायल और फिलीस्तीनी उग्रवादियों के बीच युद्धविराम लगभग तीन दिनों तक चली हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में प्रभावी हुआ, जिसमें दर्जनों फिलीस्तीनियों की मौत हो गई और गाजा में सैकड़ों हजारों इजरायलियों का जीवन बाधित हो गया।

हालिया संघर्ष

- इजरायल और हमास के बीच पिछले साल 11 दिन के युद्ध के बाद से इजरायल और गाजा आतंकवादी समूहों के बीच यह सबसे खराब लड़ाई थी।
- जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक सीमा पार से लड़ाई के पूर्ण युद्ध में बदलने का जोखिम बना रहता है।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष:

संघर्ष की शुरुआत:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने फिलिस्तीन और इजरायल के नए राज्य के बीच फिलिस्तीन के अरब-यहूदी विभाजन का प्रस्ताव रखा।
- इस विभाजन योजना में 53 प्रतिशत भूमि यहूदी-बहुल राज्य (इज़राइल) को और 47 प्रतिशत फ़िलिस्तीनी-बहुल राज्य (फ़िलिस्तीन) के लिए अनिवार्य है।
- इस विचार को मध्य पूर्व के अरब देशों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया।

पहला अरब-इजरायल युद्ध:

- हालाँकि, यहूदी अर्धसैनिक समूहों ने 1948 में बल द्वारा इज़राइल राज्य का गठन किया। इसने 1948 में अपने अरब पड़ोसियों - मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के साथ एक घातक युद्ध को प्रेरित किया। यह पहला अरब-इजरायल युद्ध था।
- इस युद्ध में इस्राइल ने जीत हासिल की और 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में पहले से परिकल्पित भूमि की तुलना में अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया।
- जब 1948 में ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन में इसराइल राज्य का निर्माण हुआ (फ़िलिस्तीनियों ने घटनाओं को 'नकबा', या तबाही कहा) तब फ़िलिस्तीनी को उनके घरों से बाहर कर दिया गया था।
- उन फिलीस्तीनी परिवारों में से अट्ठाईस परिवार पूर्वी यरुशलम में शेख जर्राह में बसने के लिए चले गए।

1967 का छह दिवसीय युद्ध:

- 1967 में, अरब देशों ने फिर से इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण एक और युद्ध हुआ, जिसे छह-दिवसीय युद्ध के रूप में जाना जाता है।
- इस युद्ध में भी इजरायल ने जीत हासिल की और फिलिस्तीन के और भी अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया।
- पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम, जिसमें पवित्र पुराना शहर है, इजरायल के नियंत्रण में आ गया।
- इसने सीरियाई गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया।
- 1970 के दशक की शुरुआत तक, यहूदी एजेंसियों ने परिवारों से जमीन छोड़ने की मांग करना शुरू कर दिया।

ओस्लो समझौते:

- इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा समर्थित किया गया था और 1993 में इजरायल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके तहत वेस्ट बैंक का एक हिस्सा फिलिस्तीनी सत्ता के नियंत्रण में आ गया।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

वर्तमान परिदृश्य

- इजराइल पूरे यरुशलम को अपनी राजधानी मानता है न कि उसका एक हिस्से को । लेकिन फ़िलिस्तीनी इससे सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि यह भविष्य के स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की उनकी राजधानी बने।
- इस साल की शुरुआत में, पूर्वी यरुशलम में केंद्रीय न्यायालय ने यहूदी बसने वालों के पक्ष में शेख जर्राह में चार फिलीस्तीनी परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने के फैसले को बरकरार रखा।
- हाल ही में, रमज़ान की शुरुआत के साथ, इज़राइली पुलिस ने दमिश्क गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए थे जिससे फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई थी।
- इजरायली पुलिस अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गई जिससे कई लोग घायल हो गए। यह यरूशलेम दिवस पर किया गया था।
- जवाबी कार्रवाई में, गाजा चलाने वाले इस्लामी उग्रवादी समूह हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे।
- इस्राइलियों ने जवाब में गाजा पर हवाई हमला किया, जिसमें 16 बच्चों सहित कम से कम 65 फिलीस्तीनियों की मौत हो गई।

इजरायल फ़िलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख

- भारत फिलीस्तीनी अधिकारों के समर्थन में "दृढ़" रहा है और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में लगातार मतदान किया है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया था जिसने 2017 में यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तीखी आलोचना की थी।

- भारत ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक अन्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें "फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली बलों द्वारा अत्यधिक, अनुपातहीन और अंधाधुंध बल के उपयोग की निंदा की गई थी"।
- भारत ने लगातार उन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है जो पूर्वी यरुशलम पर फिलीस्तीनी दावे के साथ दो-राज्य समाधान को बढ़ावा देते हैं।
- हाल ही में, भारत ने "हिंसा के सभी कृत्यों" की निंदा की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन बंद दरवाजे के सत्र में गाजा से रॉकेट हमलों की विशेष रूप से आलोचना की।

आगे की राहे

- अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद से "दो-राज्य समाधान" पर आधारित शांति की बहुत आवश्यकता है और इसे केवल इज़राइल-फिलिस्तीन वार्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- 2020 में हस्ताक्षरित, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन के बीच अब्राहम समझौते और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता, अरब देशों और इज़राइल के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अब, चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान खोजना समय की तत्काल आवश्यकता है।
- भारत के इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और बहुपक्षीय सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है जो इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान की तलाश में "उन्नत" भूमिका निभा सकते हैं।
- भारत को वार्ता के लिए राजनीतिक और राजनयिक समर्थन के साथ-साथ फिलिस्तीन में संस्था निर्माण के लिए विकास सहायता और सहयोग बढ़ाना चाहिए।

- अब्राहम समझौता: अब्राहम समझौता 13 अगस्त, 2020 को इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दिया गया एक संयुक्त बयान है। यह तीनों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए इज़राइल, बहरीन और यूएई के बीच हुए समझौते को भी संदर्भित करता है।

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'वन चाइना पॉलिसी' के तहत अमेरिका के ताइवान के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।
2. पहली द्वीप श्रृंखला रक्षा की पहली पंक्ति है जो पूर्वी चीन सागर ,फिलीपीन सागर , दक्षिण चीन सागर और सुलु सागर के बीच समुद्री सीमाओं के रूप में कार्य करती है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) 1 (b) 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CJI के कार्यालय में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।
2. 1998 में यह तीसरा न्यायाधीशों का मामला था जिसने न्यायिक कॉलेजियम का विस्तार CJI और उनके चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वर्तमान संरचना तक किया।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) 1 (b) 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. गलत कथन चुनें:

a. मूंगे समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है।

b. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल द्वीप हैं और पश्चिमी तट पर 320 किमी लंबी बाधा चट्टान है।

c. प्रवाल विरंजन प्रवाल से शैवाल के नुकसान को संदर्भित करता है।

d. हेर्माटाइपिक मूंगे केरल तट और तमिलनाडु तट के किनारे पाए जाते हैं।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. छह दिवसीय युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम, जिसमें पवित्र पुराना शहर है, इजरायल के नियंत्रण में आ गया।
2. लेकिन इजरायल सीरियाई गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करने में असफल रहा ।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(a) 1 (b) 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

उत्तर

1	2	3	4
C	C	B	A

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।